R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 5 ♦ नवम्बर 2017

बैंकिंग विनियमन

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2017 को बैंकों को सूचित किया कि वे उचित व्यवस्था शुरू करें जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के विशिष्ट प्रावधान हों जिससे कि वे बिना किसी कठिनाई के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें।

समर्पित काउंटर/वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे स्पष्टतः पहचान-योग्य समर्पित काउंटर अथवा वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने वाले काउंटर उपलब्ध कराएं।

जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आसानी

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब पेंशन वितरित करने वाले बैंक की किसी शाखा में, गृहेतर (नॉन-होम) शाखा सहित, कोई जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा ही सीबीएस में तुरंत अद्यतन/ अपलोड किया जाए, ताकि पेंशन राशि जमा होने में किसी प्रकार के विलम्ब से बचा जा सके।

Illustration:Anupam Sharma

सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, ''जीवन प्रमाण'' योजना के अंतर्गत डिजिटल डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा के अलावा, पेंशन वितरित करने वाले बैंक की किसी भी शाखा में पेंशनर जीवन प्रमाणपत्र का भौतिक फार्म प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, यह पाया गया है कि अक्सर प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा बैंक की कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रणाली में उक्त का तुरंत अद्यतन नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को परिहार्य कठिनाई होती है।

चेक बुक सुविधा

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे :

- ग्राहकों को चेक बुक जारी करें जब भी मांग पर्ची जो पहले जारी चेक बुक का भाग हो, के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होता है;
- अनुरोध प्राप्त होने पर, किसी प्रभार के बिना प्रति वर्ष बचत बैंक खाते में कम-से-कम 25 चेकों वाली चेक बुक प्रदान करें;
- चेक बुक प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित किसी भी ग्राहक के स्वयं उपस्थित होने पर जोर नहीं दें; और
- मांग प्राप्त होने पर बैंक की निर्धारित नीति के अनुसार किसी अन्य माध्यम से चेक बुक जारी करें।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) में इस प्रकार की कोई सुविधा प्रदान करने से खाते को गैर-बीएसबीडीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

खाते की स्थिति में स्वतः परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे बैंक के अभिलेखों में उपलब्ध जन्म-तिथि के आधार पर पूर्णतः केवाईसी-अनुपालित खाते को 'वरिष्ठ नागरिक खातों' में स्वतः परिवर्तित करें। वर्तमान में, कुछ बैंकों में पूर्णतः केवाईसी-अनुपालित खातों को भी बैंक के अभिलेखों में दर्ज जन्म-तिथि के आधार पर 'वरिष्ठ नागरिक खातों' में स्वतः परिवर्तित नहीं किया जाता।

दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बीमार/बूढ़े/ अक्षम व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाएं जिसमें अंगूठे अथवा पैर के अंगूठे के निशान की दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचान करने के माध्यम से खाते का परिचालन करना और एक ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत करना जो ऐसे ग्राहकों की ओर से राशि निकाल सकेगा जैसी सुविधाएं शामिल हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी प्रदान की जाएं।

पृष्ठ 2 पर जारी...

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा	1
• बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए एलईआई की शुरुआत	2
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• एनबीएफसी द्वारा जोखिमों को व्यवस्थित करना और आचार संहिता	2
वित्तीय बाजार विनियमन	
• सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन	3
• एफपीआई द्वारा ओटीसी सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन	3
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• सरलीकृत हेजिंग सुविधा पर दिशानिर्देश	3
• भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण या निर्गम	3
सुनो आरबीआई क्या कहता है: भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल	3
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	
• जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन	4
मिन्ट स्ट्रीट मेमो	4
• नकदी से गैर-नकदी और चेक से डिजिटल: भारत की भुगतान प्रणालियों में उभरती क्रांति	4
पण्य-वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग संबंधी कार्यसमूह की रिपोर्ट	4

बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए एलईआई की शुरुआत

रिज़र्व बैंक ने 2 नवंबर 2017 को निर्णय लिया कि बैंक अपने उन मौजूदा बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्राप्त करने के लिए सूचित करें जिनका कुल एक्सपोज़र ₹50 करोड़ या इससे अधिक है। जो उधारकर्ता अनुसूची के अनुसार एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण/संवर्धन प्रदान नहीं किया जाता है। उन उधारकर्ताओं के लिए एक अलग से रूपरेखा आने वाले समय में जारी की जाएगी जिनका एक्सपोज़र ₹ 5 करोड़ से ₹ 50 करोड़ तक है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे बड़े उधारकर्ताओं को अपनी मूल संस्था और सभी सहायक संस्थाओं तथा सहयोगी संस्थाओं के लिए एलईआई प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

संस्थाए एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग में सहायता करने का कार्य सौंपे गए किसी वैश्विक विधिक संस्था पहचानकर्ता फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा प्रत्यायित किसी भी स्थानीय परिचालन यूनिट (एलओयू) से एलईआई प्राप्त कर सकती हैं। भारत में, एलईआई कोड विधिक संस्था पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईआईएल) जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड की सहायक संस्था है, से प्राप्त किया जा सकता है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत मान्यता दी गई है और जीएलईआईएफ द्वारा एलईआई के निर्गम और प्रबंधन हेतु भारत में स्थानीय परिचालन यूनिट (एलओयू) के रूप में प्रत्यायित किया गया है।

पृष्ठभूमि

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय आंकड़ा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने के लिए एलईआई कोड को एक मुख्य उपाय के रूप में माना जाता है। एलईआई 20-अंकीय विशिष्ट कोड है जो विश्वव्यापी आधार पर वित्तीय लेनदेन करने वाली पार्टियों की पहचान करता है। ओवर दि काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार के सहभागियों के लिए एलईआई को तब से चरणबद्ध तरीके में कार्यान्वित किया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11154Mode=0)

पृष्ठ 1 से जारी...

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा

फार्म 15 जी/एच फाइल करने में आसानी

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को वर्ष में एक बार (बेहतर हो अप्रैल माह में) फार्म 15 जी/एच प्रदान करें, ताकि वे निर्धारित समय के भीतर इसे, जहां भी लागू हो, प्रस्तुत कर सकें।

दरवाजे पर (डोर-स्टेप) बैंकिंग

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे ऐसे ग्राहकों के परिसर/आवास पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएंजैसे कि रसीद देकर नकदी और लिखत प्राप्त करना, खाते से आहरण के हिसाब से नकदी की सुपुर्दगी, डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेज और जीवन प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति आदि के लिए ठोस प्रयास करें।यह सूचना 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित, दिव्यांग अथवा निशक्त व्यक्तियों (चिकित्सकीय प्रमाणित दीर्घकालीन रोग अथवा दिव्यांगता से ग्रसित) की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11163Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

एनबीएफसी द्वारा जोखिमों को व्यवस्थित करना और आचार संहिता

रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2017 को जनहित में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) के द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिमों को व्यवस्थित करने और आचार संहिता पर अपने निदेशों में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए हैं। ये निदेश व्यापक विनियामकीय मुद्दों को कवर करते हैं जैसे सामग्री की आउटसोर्सिंग, एनबीएफसी की भूमिका और विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी अपेक्षाएं, बोर्ड की भूमिका, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र का उत्तदायित्व, जोखिमों का मूल्यांकन, वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू) या अन्य सक्षम प्राधिकारियों को लेनदेनों की रिपोर्टिंग, समूह/संगुटिका के अंदर आउटसोर्सिंग तथा वित्तीय सेवाओं की ऑफ-शोर आउटसोर्सिंग इनमें से कुछ निदेश इस प्रकार हैं:

- अपने कार्यकलापों को आउटसोर्स करने वाली एनबीएफसी को प्रभावी निगरानी करने, सावधानी बरतने और आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए अच्छी और जवाबदेह जोखिम प्रबंधन पद्धतियां सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- एनबीएफसी ऐसी आउटसोर्सिंग में शामिल नहीं होंगी जिनके परिणामस्वरूप उनके आंतरिक नियंत्रण, कारोबार करने या प्रतिष्ठा से समझौता करना पड़े या कमजोर हो जाएं।
- जो एनबीएफसी वित्तीय कार्यकलापों को आउटसोर्स करना चाहती हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। तथापि, ऐसी व्यवस्था रिज़र्व बैंक की ऑन-साइट/ऑफ-साइट निगरानी और निरीक्षण/संवीक्षा के अधीन होगी।
- तथापि, जो एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स करना चाहती हैं, वे मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करेंगी जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा, कार्यनीतिक और अनुपालन कार्य तथा निर्णय निर्माण जैसे जमा खाते खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करना, ऋणों (खुदरा ऋण सहित) की स्वीकृति प्रदान करना और निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना शामिल होगा।
- एनबीएफसी प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों/प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों और वसूली एजेंटों सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों और सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध ग्राहकों की सूचना की गोपनीयता के लिए उत्तरदायी होंगी। एनबीएफसी आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों का अंतिम नियंत्रण रखेंगी।
- आउटसोर्सिंग के लिए सावधानी बरतते समय एनबीएफसी के लिए आवश्यक है कि वे सभी संगत कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और अनुमोदन की शर्तों, लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण पर विचार करेंगी।
- आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं से एनबीएफसी के विरूद्ध ग्राहक के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें संगत कानूनों के अंतर्गत यथालागू क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ग्राहक की योग्यता शामिल है।
- सेवा प्रदाता एनबीएफसी को अपने कार्यकलापों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए एनबीएफसी की योग्यता में बाधा नहीं डालेगा या हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने पर्यवेक्षी कार्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा पहुंचाएगा।
- एनबीएफसी में एक मजबूत शिकायत समाधान तंत्र रखने की आवश्यकता है जिसमें किसी भी तरीके से आउटसोर्सिंग के कारण समझौता नहीं किया जाएगा।
- सेवा प्रदाता, यदि एनबीएफसी की समूह कंपनी नहीं है, का स्वामित्व या नियंत्रण एनबीएफसी के किसी निदेशक या उनके संबंधियों के पास नहीं होगा, शब्दों का वही अर्थ होगा जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 में दिया गया है।

एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वे अपने मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्व-आकलन करें और इसे दो महीनों के अंदर निदेशों के अनुसार करें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11160Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2017 को निर्णय लिया कि बाजार के सहभागियों को 'नोशनल' शार्ट बिक्री करने के लिए रेपो बाजार में अनिवार्य रूप से प्रतिभूति उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि शार्ट विक्रय इकाई सामान्यतया मार्केट तनाव (जैसेकिशार्ट स्क्विज) की असाधारण स्थितियों में रेपो मार्केट से प्रतिभूतियां उधार लेती है, तो अपनी स्वयं की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)/बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)/लेनदेन के लिए धारित (एचएफटी) संविभागों से इनकी सुपुर्दगी की जा सकती है। यदि प्रतिभूतियों की अपने पोर्टफोलियो से सुपुर्दगी की जाती है, तो उसका उचित रूप से लेखा रखा जाना चाहिए और लेनदेन को आंतरिक उधार के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। सभी 'नोशनल' लघु बिक्रि यों को बाजार में एक आउटराईट खरीद के द्वारा बंद किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बकाया मूल्य में कोई भी बदलाव किए बिना उधार ली गई प्रतिभूतियों को उसी पोर्टफोलियो में वापस लाया जाता है। लघु विक्रय इकाई को मौजूदा विनियमों को और उसके पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों की बिक्री या मूल्यांकन के संचालन के लेखा मानदंडों का पालन करना चाहिए। बैंक इस उद्देश्य के लिए एक बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार कर सकता है। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11171Mode=0)

एफपीआई द्वारा ओटीसी सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2017 को विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) को सरकारी प्रतिभूतियों में टी + 1 या टी + 2 के आधार पर ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटारा करने की अनुमति दी। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को ही सूचित किया जाए। एफपीआई को पहले ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन को टी + 2 आधार पर निपटान करना आवश्यक था। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11172Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

सरलीकृत हेजिंग सुविधा पर दिशानिर्देश

2 अगस्त 2017 की विकास संबंधी और विनियामक नीतियों पर कथित घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2017 को जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेन के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा प्रस्तुत की। रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2016 में सरल हेजिंग सुविधा की योजना को पहली बार घोषित किया गया था और 12 अप्रैल 2017 को मसौदा योजना जारी की गई थी। दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को कम करके हेजिंग विनिमय दर जोखिम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, उत्पादों, उद्देश्यों और हेजिंग लचीलेपन के बारे में अनुदेशात्मक शर्तों से बचने और अधिक गतिशील और कुशल हेजिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए इस सुविधा को 1 जनवरी 2018 से शुरू किया जा रहा है।

दिशानिर्देशों के अनुसार निवासी और अनिवासी सस्थाओं (व्यक्तियों के अलावा) जैसे उपयोगकर्ता विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत संविदाकृत या प्रत्याशित, अनुमत लेनदेनों पर विनियमन दर जोखिम की हेजिंग कर सकते हैं। कवर किएजानेवाले उत्पादों में कोई भी ओवर द कांउटर (ओटीसी) डेरिवेटिव या शेयर बाजार मे कारोबार किया गया करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) होंगे, और बकाया संविदाओं पर उच्चतम सीमा सकल आधार पर तीस मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष है। यदि उपयोगकर्ता की हेजिंग आवश्यकता आनेवाले समय में सीमा से अधिक हो जाती है, तो विनिर्दिष्ट बैंक (उपयोगकर्ता की हेजिंग आवश्यकता का आकलन करने और बकाया संविदाओं पर निर्धारित उच्चतम सीमा तक उक सीमा निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा नियुक्त एडी श्रेणी -1 बैंक) पुन: आकलन करेगा और अपने विवेक पर निर्धारित उच्चतम सीमा के 150 प्रतिशत तक सीमा में वृद्धि करेगा।

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे समय सीमा के संबंध में एक आंतरिक नीति बनाएं जिस सीमा तक अंतरनिर्हित प्रतिभूति (अंडरलाइंग) के लिए हेजिंग संविदा को रोलओवर या पुन; बुक किया जा सकता है। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11162Mode=0)

भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण या निर्गम

रिज़र्व बैंक ने 7 नवंबर 2017 को भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण या निर्गम के माध्यम से भारत में निवेश को विनियमित करने के लिए चयनीत नियमों में संशोधन किया। संशोधित नियमों में विषयों की विस्तृत श्रेणियां शामिल है, जैसेकि, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश पर प्रतिबंध, निवेश प्राप्त करने पर प्रतिबंध, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने की अनुमति, राइट् या बोनस इश्यू के माध्यम से अधिग्रहण, भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को या से एक भारतीय कंपनी के पूंजीगत साधनों के हस्तांतरण और अन्य प्रासंगिक मुद्दे। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11161Mode=0)

सुनो आरबीआई क्या कहता है

रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2017 को आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया।

शुरू में, रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2017 को आम जनता को सतर्कता संदेश भेजा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोनके माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे मेंसावधान किया गया। इस श्रृंखला में 22 नवंबर 2017 को दूसरा एसएमएस चेतावनी संदेश एसएमएस/फोन कॉल/ईमेल के द्वारा प्राप्त फर्जी प्रस्तावों से आम जनता को सचेत करने के उद्देश्य से भेजा गया । ये सतर्कता संदेश 'RBISAY' प्रेषकआईडी द्वारा भेजा गया।

Illustration:Anupam Sharma

रिज़र्व बैंक ने इन संदेशों के साथ अपना जागरूकता अभियान शुरू किया, क्योकिं हाल ही में फर्जी प्रस्ताावों और बैंक विवरण/ओटीपी/सीवीवी आदि को साझा करने के कारण लोगों के पैसे खो जाने की घटनाएं हुईं हैं। धोखेबाजों ने परिवेश द्वारा प्रदान किए गए हर अवसर का लाभ उठाकर भोले-भाले पीड़ितों के बैंक के विवरण, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड साझा कर लिए। वर्तमान फोन कॉल का सबसे आम बहाना था 'आधार संख्या से बैंक खाते को लिंक करने के लिए आपके ओटीपी / सीवीवी आदि को साझा करें' और जनता के भोले-भाले सदस्य आसानी से इस पर विश्वास करते गए। इसलिए, सभी से अनुरोध है कि इन संदेशों को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों के बीच प्रसारित करके वायरल बनाएं।

रिज़र्व बैंक समय-समय पर जारी प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से आम जनता को ऐसे प्रस्तावोंके बारे में सजग कर रहा है (https://www.rbi.org.in/Scripts/RBICautions.aspx)। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिज़र्व बैंक भी उन्हीं माध्यमों (एसएमएस और ई-मेल) का उपयोग करेगा जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। आम जनता फर्जी फोन कॉलों/ई-मेल तथा साथ ही चिट फंडों में बुद्धिमत्ता के साथ और सावधानी से निवेश करने के संबंधमें इंट्रैक्टिव वॉइस रिस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 8691960000 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। वे इस अभियान परई-मेल के माध्यम से अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं (rbikehtahairbi.org.in)&(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42214)

मिन्ट स्ट्रीट मेमो

नकदी से गैर–नकदी और चेक से डिजिटल: भारत की भुगतान प्रणालियों में उभरती क्रांति

रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 24 नवंबर 2017 को मिन्ट श्रृंखला मेमो संख्या 7 उपलब्ध कराया है जिसके विषय है–''नकदी से गैर–नकदी और चेक से डिजिटल: भारत की भुगतान प्रणालियों में उभरती क्रांति''।

मेमो में अनुभवजन्य आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों के प्रगामी उपयोग और सेवा प्रभारों की कैपिंग की पृष्ठभूमि में अंतर–बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि (i) विमुद्रीकरण से पहले चेकों के उपयोग में कमी रही है, और (ii) विमुद्रीकरण से नकदी लेनदेन खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और चेकों के माध्यम से एक संधारणीय तरीके से भुगतान प्रणालियों के गैर–नकदी मोड में बदल गए हैं।

चेक

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के अधिदेशित उपयोग से पूर्व अंतर–बैंक चेक समाशोधन लेनदेनों की संख्या ने सांख्यिकी रूप से काफी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, भारती रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद अंतर–बैंक चेक समाशोधन लेनदेनों की संख्या ने बाद में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई जो सांख्यिकी रूप से काफी है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप से चेक का उपयोग करने में ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव आया। विमुद्रीकरण के बाद की अवधि (अप्रैल 2017–अगस्त 2017) में चेक लेनदेनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जीडीपी के अनुपात में जनता के पास मुद्रा का अनुपात वर्ष 2016–17 के दौरान काफी कम हुआ।

Illustration:Anupam Sharma

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धतियां

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों की सक्षमता और समावेशिता के संवर्धन में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप ने चेक जैसी पारंपरिक लिखतों के विरूद्ध इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों की मात्रा और मूल्य दोनों को प्रभावी रूप से बढ़ाया है।

भुगतान प्रणालियों पर विमुद्रीकरण का प्रभाव

भुगतान प्रणालियों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव को समझने के लिए भुगतान प्रणालियों के आंकड़ों को तीन समय बकेटों के समूह में बांटा गया है अर्थात अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 तक विमुद्रीकरण पूर्व की अवधि, नवंबर 2016 से मार्च 2017 तक विमुद्रीकरण की अवधि तथा अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक विमुद्रीकरण के बाद की अवधि। विमुद्रीकरण पूर्व की अवधि में चेक की मात्रा और मूल्य कम हुआ किंतु विमुद्रीकरण और विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। विमुद्रीकरण और विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) में कार्ड लेनदेनों में तेज वृद्धि हुई।

निष्कर्ष

मेमो में इसकी जांच के माध्यम से पता चला कि भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप से चेक जैसी पेपर–आधारित लिखतों के उपयोग में कमी प्रतीत हुई है। विमुद्रीकरण ने अंतर–बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों को नकदी लेनदेनों से भुगतान की गैर–नकदी पद्धतियों के तीन खंडों अर्थात खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, पीओएस टर्मिनलों पर कार्ड उपयोग और चेकों में अंतरित करने में काफी प्रभाव डाला। विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान इन तीन लिखतों का बढ़ा हुआ उपयोग विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में भी कायम रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की भुगतान आदतों में एक मौलिक बदलाव की ओर इशारा करता है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/MSMšMintstreetmemos7.aspx)

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन

जीएसटी संबंधी ढ़ाँचा कार्यान्वित किए जाने के बाद 16 नवंबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन को संशोधित किया और जीएसटी का संग्रह करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि वे जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के अपने दावे केवल मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में ही प्रस्तुत करें। सभी एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन का दावा करने के लिए संशोधित प्रारूप और शाखा के अधिकारियों और सनदी लेखाकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले अलग और विशिष्ट प्रमाणपत्रों के निर्धारित सेट प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रमाणपत्र, कार्यकारी निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक (सरकारी कारोबार के प्रभारी) के इस आशय के सामान्य प्रमाणपत्र कि कोई पेंशन बकाया क्रेडिट किया जाना बाकी नहीं है/नियमित पेंशन/बकाया जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है, के अतिरिक्त होंगे।

एजेंसी बैंकों को राज्य सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे सीएएस नागपुर को निहित प्रारूप में प्रस्तुत करने होते हैं। तथापि जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11170Mode=0)

पण्य–वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग संबंधी कार्यसमूह की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर2017 को अपनी वेबसाइट पर निवासियों द्वारा पण्य–वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग संबंधी कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री चंदनसिन्हा, पूर्व कार्यपालक निदेशक, आरबीआई) की रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। इस रिपोर्टपर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 15 दिसंबर 2017 तक: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, पहली मंजिल, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 को भेजे जा सकते हैं याविषय लाइनःपण्य–वस्तुओंके मूल्य जोखिम की हेजिंग पर फीडबैक के साथ ई–मेल किए जा सकते हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=42293

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।